IndiaCode

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2008

**सा.का.नि. 802(अ).**—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 बनाता है नामत: :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभण**

*(1)* इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2008 कहा जाएगा।

*(2)* ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **विनियम 2 में संशोधन**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें

बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के उप-विनियम *(ज)* में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

*'(ज)* "शुल्क क्षेत्र" का अभिप्राय उस क्षेत्र से है -

*(i)* जिसकी लंबाई मूल प्वाइंट से अंतिम प्वाइंट तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मार्ग के साथ-साथ तीन सौ किलोमीटर हो:

बशर्ते कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का अंतिम क्षेत्र की लंबाई तीन सौ किलोमीटर या उससे कम हो;

बशर्ते, आगे यह भी कि तीन सौ किलोमीटर से कम की लंबाई तक की कोई भी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की गणना क्षेत्र के रूप में की जाएगी; और

*(ii)* प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के साथ-साथ एक कोरीडोर, जिसकी चौड़ाई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई के दस प्रतिशत तक हो तथा जिसमें प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के दोनों ओर की सतह से निकटतम प्वाइंट तक की स्पर लाइनों या 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र की लंबाई शामिल न हो, तथा इसमें प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मूल प्वाइंट तथा अंतिम प्वाइंट शामिल हों, और -

*(क)* प्रथम शुल्क क्षेत्र की गणना ऐसे किसी भी क्षेत्र से की जाएगी जिसमें प्राकृतिक गैस का इंजेक्शन प्वाइंट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में गिरता हो; और

(ख) इसके बाद के शुल्क क्षेत्र या शुल्क क्षेत्रों, जैसी भी स्थिति हो, की गणना प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में प्राकृतिक गैस की सुपुर्दगी के लिए ठेकागत मार्ग के दोनों ओर अलग से की जाएगी:

बशर्ते कि प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क उसी स्रोत से क्षेत्र में स्थित सभी ग्राहकों के लिए एक-समान होंगी:

4593 GI/08-3

आगे यह भी कि कंपनी क्षेत्र में स्थित किसी भी ग्राहक को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगी बशर्ते कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से नई स्पर लाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने की प्रौद्यो-वाणिज्यिक व्यवहार्यता हो।

*स्पष्टीकरण* -

इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में मूल प्वाइंट और अंतिम प्वाइंट तथा शुल्क क्षेत्र या शुल्क क्षेत्रों की क्रमिक संख्या को प्राधिकरण पत्र या बोर्ड द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क के निर्धारण में दर्शाया जाएगा।

[फा. सं. एस-प्रशा/II/8/2008-खण्ड-I]
रतन पी. वातल, सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2008

**G.S.R. 802(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate of Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008 namely :—

1. **Short title and commencement.**

*(1)*These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2008.

*(2)*They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of regulation 2.**

In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, for sub-regulation *(h)*, the following shall be substituted, namely:-

'*(h)* "tariff zone" means the zone-

*(i)* of a length of three hundred kilometers each along the route of the natural gas pipeline from the point of origin till the end point:

Provided that the last zone of the natural gas pipeline may be of a length of three hundred kilometers or less;

Provided further that any natural gas pipeline of a length less than three hundred kilometers shall be counted as a zone; and

*(ii)* a corridor along the natural gas pipeline with a width of up to ten percent of the total length of the natural gas pipeline without including the length of the spur lines or fifty kilometers measured from the nearest point on the surface of the natural gas pipeline on both sides, and including the point of origin and the end point of the natural gas pipeline, whichever is less, and-

*(a)* the first tariff zone shall be counted with reference to any zone in which the point of injection of natural gas into the natural gas pipeline falls; and

*(b)* the subsequent tariff zone or tariff zones, as the case may be, shall be counted separately on either side along the contractual path for delivery of natural gas in the natural gas pipeline:

Provided that the natural gas pipeline tariff for transport of natural gas from the same source shall be uniform for all the customers located within the zone:

Provided further that the entity shall supply natural gas to any customer located in the zone subject to the techno-commercial feasibility of laying, building, operating or expanding a new spur line from the natural gas pipeline.

*Explanation.-*

For the purposes of this clause, the point of origin and the end point in the natural gas pipeline as also the sequential numbering of the tariff zone or tariff zones, as the case may be, shall be as indicated in the letter of authorization or fixation of the natural gas pipeline tariff by the Board.'

[F. No. S-Admn/II/8/2008-Vol. I]

RATAN P. WATAL, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.